न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर०ए०एस०

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 45 / 2021

प्रार्थी–

राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सत्यनारायण पुत्र भीखसिंह जाति राजपुरोहित निवासी राईकों का गोलिया समदड़ी बाड़मेर (मैसर्स जोधपुर स्वीट्स एण्ड नमकीन, समदड़ी बाड़मेर का मैनेजर)
2. पुष्पा कंवर पत्नी भीखसिंह जाति राजपुरोहित निवासी राईकों का गोलिया समदड़ी बाड़मेर (मैसर्स जोधपुर स्वीट्स एण्ड नमकीन, समदड़ी बाड़मेर की मालकिन एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र धारक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनाँक : 17.08.2021

प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण की फर्म **मैसर्स जोधपुर स्वीट्स एण्ड नमकीन, समदड़ी बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनाँक **24.03.2021** [illegible] लिया गया खाद्य पदार्थ [illegible] जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

फ्रीज में करीब 5 कि0ग्रा0 रखा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **01 कि0ग्रा0 पनीर** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1349** अंकित कर इसकी जाँच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य गदार्थ **गनीर** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **पनीर** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। परिवाद का जवाब एवं जुर्म स्वीकार प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राहक की मांग के अनुसार कम फैट सरस दूध से पनीर बनाया गया था एवं प्रार्थी को मानकों के संबंध में जानकारी का अभाव था। हमारे विरूद्ध लगाए गए जुर्म हम स्वेच्छा से तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वीकार करते हैं। यह हमारा प्रथम अपराध है, लिहाजा नरम दृष्टिकोण अपनाया जावे। आईंदा इस प्रकार से अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद का निस्तारण फरमाया जावें।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट [illegible] उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है। इस पर यह परिवाद [illegible] पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित [illegible] कर जुर्म स्वीकार किया गया है। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला से प्राप्त नमूना [illegible] रिपोर्ट मे उक्त खाद्य पदार्थ की

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

विश्लेषण में मिल्क फैट कन्टेन्ट ऑफ द ड्राई मैटर के आँकडे निर्धारित मानक 50.0% के मुकाबले 10.08% पाया गया है। यह अन्तर मानक स्तर से अत्यधिक ज्यादा है। अप्रार्थीगण द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति से उसके द्वारा विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थ की गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 17.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:50 IST
Reason: SelfAttested